20रु. Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

माननीय न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक ~~2017-18~~ निगरानी– 4078/2018/देवास/भू.रा.

1 मानसिंह पिता करणसिंह, आयु– 67 वर्ष व्यवसाय– कृषि, निवासी– ग्राम कन्हेरिया तह. टोंकखुर्द जिला देवास (म.प्र.)

2 मंजूबाई पिता करणसिंह, व्यवसाय–कृषि

3 शरदाबाई पिता करणसिंह, व्यवसाय–कृषि निवासीगण– ग्राम कन्हेरिया जिला देवास हाल मुकाम–बजनरंग नगर, देवास (म.प्र.)

––– निगरानीकर्तागण

प्रार्थी अभिभावक श्री वीरेन्द्रसिंह सिसोदिया
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 12/6/18
12.6.18
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

–– विरूद्ध ––

1 सुमेरसिंह पिता करणसिंह, आयु– 43 वर्ष निवासी–ग्राम कन्हैरिया तह. टोंकखुर्द जिला देवास (म.प्र.)

2 भारतसिंह पिता करणसिंह, आयु– 40 वर्ष निवासी– ग्राम कन्हेरिया जिला देवास हाल मुकाम–विश्राम बाग देवास सिटी, जिला देवास (म.प्र.)

3 म.प्र. शासन द्वारा पटवारी हल्का नंकर 23 तह. टोंकखुर्द जिला देवास (म.प्र.)

–––––––– प्रत्यर्थीगण

499
12/6/18

अधीनस्थ योग्य न्यायालय तहसीलदार तहसील टोंकखुर्द जिला देवास के द्वारा वर्ष 1997–98/98–99 की नामांतरण पंजी का क्रमांक 16 में पारित आदेश दिनांक 15/08/1998 एवं अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 112/14–15/अपील में पारित आदेश दिनांक 17/11/2017 से दुःखित व क्षुब्ध होकर अंदर अवधि निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता –

निरंतर.........2

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4078/2018/देवास/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11/9/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिन्दु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के आदेश दिनांक 17.11.2017 के विरुद्ध दिनांक 12.06.2018 को विलंब से प्रस्तुत की गई है। आवेदक द्वारा विलंब के संबंध में जो तर्क दिए गए हैं, वे मान्य योग्य नही हैं। संहिता की धारा-5 के अनुसार विलंब के संबंध में दिन-प्रतिदिन का स्पष्टीकरण देना अनिवार्य होता है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा विलंब के संबंध में कोई ठोस एवं समाधानकारक कारण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	